मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्याः 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283
email- csup@nic.in

अति महत्वपूर्ण

संख्याः 218 / पीएसएमएस / 2020
दिनाँक : 27 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, नोएडा

यह सूचना निरन्तर प्राप्त हो रही है कि अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में व्यक्ति प्रदेश के अन्दर विभिन्न माध्यमों से आ रहे हैं। किसी भी राज्य द्वारा इस प्रकार से व्यक्तियों को भेजा जाना या उसकी अनुमति देना भारत सरकार के लॉकडाउन सम्बन्धी आदेशों एवं नियमों के विपरीत है तथा इससे कोविड–19 की महामारी व्यापक एवं गम्भीर हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जहां पर निवास कर रहा है वहीं पर रहे तथा निराश्रित व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय जांच एवं सुविधा, भोजन, निवास एवं दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए कम्यूनिटी किचन एवं शेल्टर होम भी स्थापित कर दिए जाएं। जो व्यक्ति अन्य प्रदेशों से आपके जनपदों में आ गए हैं उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए तथा अन्यत्र जाने की अनुमति कदापि न दी जाए। अन्य प्रदेशों के पड़ोसी जनपदों के जिलाधिकारियों/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भी सम्पर्क कर उनसे वहां पर निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को अपने जनपद में ही रोकने के लिए तथा इन व्यक्तियों को निर्धारित लॉकडाउन अवधि के बाद ही अपने गन्तव्य स्थान पर जाने की अनुमति दिये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाए।

2– प्रदेश शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य प्रदेशों के व्यक्ति जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निराश्रित हैं, उनके भी इलाज, भोजन एवं रहने, आदि की व्यवस्था इन शेल्टर होम्स में कर दी जाए।

3– किसी भी दशा में अपने जनपद से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अन्यत्र न जाने दिया जाए।

Scanned by CamScanner

4— जिलाधिकारीगण ऐसे शेल्टर होम्स में निवास करने वाले, प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर तैयार रखेंगे तथा इसकी सूचना प्रतिदिन मेरे प्रमुख स्टाफ आफिसर (श्री पंकज कुमार) को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

27—03—2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्याः 218 /पीएसएमएस/2020, तदि्दनांक

प्रतिलिपि समस्त अन्य जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपदों में भी इस प्रकार के व्यक्तियों को अन्य जनपदों में जाने की अनुमति नहीं देंगे तथा उन व्यक्तियों को अपने जनपदों में बनाये गये शेल्टर होम्स में रखकर उन्हें चिकित्सीय, भोजन, आदि आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

1. अ०मु०स०, गृह
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

27—03—2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned by CamScanner